समाचार वाणी

ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Wednesday, 09 September 2026

हल्दीराम के नमकीन पैकेट मे 'घोटाला', उपभोक्ता फोरम के आदेश पर कस्टमर को मिला मुआवजा, फिर दिल जीतने वाला काम

Publisher

Published on 27 Sep 2025

मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में एक उपभोक्ता ने हल्दीराम के नमकीन पैकेट कम वजन मिलने पर उपभोक्ता फोरम का रुख किया। उपभोक्ता ने दावा किया कि पैकेट पर जो वजन अंकित था, वह वास्तविकता से कम था। फोरम ने मामले की सुनवाई के बाद हल्दीराम कंपनी को दोषी मानते हुए उपभोक्ता को एक लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया।

उपभोक्ता फोरम का आदेश और कंपनी पर जुर्माना

उपभोक्ता फोरम ने जांच के बाद पाया कि हल्दीराम के नमकीन पैकेट निर्धारित वजन से कम सामग्री थी, जिससे उपभोक्ता को आर्थिक नुकसान हुआ। फोरम ने कंपनी को दोषी ठहराते हुए उपभोक्ता को एक लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया और कंपनी पर जुर्माना भी लगाया।

कस्टमर का दिल जीतने वाला कदम

मुआवजा राशि मिलने के बाद, उपभोक्ता ने एक अनूठा कदम उठाया। उन्होंने पूरी एक लाख रुपये की मुआवजा राशि वृद्धा आश्रम को दान दी। यह कदम न केवल उपभोक्ता अधिकारों की जीत का प्रतीक बना, बल्कि मानवीय संवेदना और सेवा की भावना का भी उदाहरण प्रस्तुत किया।

यह घटना उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ समाज में एकता और सहयोग की भावना को भी प्रोत्साहित करती है। उपभोक्ता फोरम द्वारा दिए गए फैसले और कस्टमर द्वारा किए गए दान ने यह सिद्ध कर दिया कि सही मार्ग पर चलकर किसी भी समस्या का समाधान संभव है।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.